

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

स्वच्छता हेतु वार्डवार नियुक्त पर्यवेक्षकों की निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली बैठक

रतलाम 25 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने हेतु युद्ध स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों की बैठक निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने लेकर स्वच्छता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड वार नियुक्त 23 पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने वार्डों में प्रातः 6 बजे से भ्रमण कर वार्ड में साफ-सफाई व विशेष रूप से सड़को व नालियों की सफाई उद्यानों की साफ-सफाई व रख-रखाव करवाना सार्वजनिक दिवारों पर स्वच्छता का संदेश देने वाली वॉल पेंटिंग करवाना सर्वेक्षण के मानक अनुसार वार्डों में साइनेज का कार्य करवाना वार्डों में उचित दूरी पर डस्टबीन रखवाना कचरा संग्रहण वाहनों की मॉनीटरिंग करना कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिकों को प्रेरित करना पृथक्कीकरण अवस्था में कचरा टे^a चंग ग्राउण्ड पर पंहुचाना वार्डों में आईईसी गति व ध्यां संचालित कर नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना कचरा संग्रहण वाहनों की जीपीएस टे^a कंग करवाना थोक कचरा उत्सर्जन वाले संस्थानों में उनके ही स्थल पर जैविक खाद निर्माण करवाना नागरिकों को होम कम्पोस्टिंग कये जाने हेतु प्रेरित कये जाने के निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिदिन के कार्यों की रिपोर्ट प्रतिदिन सांय 6 बजे प्रस्तुत करेंगे। स्वच्छता के कार्य को सुगम बनाने व कार्य में गति प्रदान करने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का एक व्हाट्स एप ग्रुप तैयार करने के निर्देश बैठक में दिये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि वे अपने-अपने वार्डों में 6.6 बेस्ट पाइंट चन्हित कर सूची उपलब्ध करवायेंगे। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि पर्यवेक्षण कार्य में नियुक्त कर्मचारियों को

वार्ड के दरोगा व सफाई संरक्षकों की नाम व मोबाईल नम्बर सहित सूची उपलब्ध कराये जाने के साथ ही वार्ड की चर्तुसीमा भी उपलब्ध कराई जाये। बैठक में सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनीए श्री एम.के. जैनए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए निगम स चव श्री जसवंत जोषी सहित उपयंत्री व नियुक्त पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

स्वच्छता का शहर के वकास में बड़ा योगदान है

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत कचरा मुक्त स्थानों पर

रांगोली निर्माण कर व भन्न स्पर्धाएं आयोजित कराई गई

रतलाम 25 फरवरी । मनए वाणीए कर्मए शरीरए हृदयए चत्तए समाजए परिवारए संस्कृति और व्यवहार से लेकर धर्म और वज्ञान तक में स्वच्छता का वशेष महत्व है। या कहेंए बिना स्वच्छता के जीवनए परिवारए समाजए संस्कृतिए शहर और चेतना के उच्च आदर्श को प्राप्त करने के लए स्वच्छता प्रथम सोपान है। स्वच्छता वकास का बड़ा पैमाना है। इस कार्य में जब तक शहर के हर हाथ से सहयोग नही मलेगा तब तक हम हमारे शहर को स्वच्छता की दौड़ में देश में अक्वल नही ला पाएंगे। इस लए स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में हर कोई बढ चढ कर अपनी हिस्सेदारी निभाए।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश और स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह के निर्देशन में सफाई मत्र समूह के सदस्यों ने गुरुवार को शहर के आधा दर्जन से अ धक कचरामुक्त स्थानों रांगोली का निर्माण कर क्षेत्रीय रहवा सयों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया है।

इस मौके पर समूह के सदस्यों ने नागरिकों को समझाया क वकास का मतलब अच्छा भोजनए अच्छा पानीए अच्छा वाहन और अच्छा घर ही माना जाता है। वकास का मतलब स्वच्छताए कर्तव्यों का पालन और सहयोग की भावना नहीं स्वीकार कया गया। अच्छी सडकें तो सभी चाहते हैं ले कन उसकी साफ-सफाई का दायित्व कभी स्वयं पर नहीं डालना चाहते। सडकों पर गंदगी करना जैसे हमारा पुनीत कर्तव्य बन गया है। इसी तरह छोटे मार्गोंए ग लयोंए पार्कोंए सार्वजनिक स्थानों और अन्य उपयोगी स्थानों को हम गंदा करके उसे

साफ करना नहीं सीखा। यही कारण है क शहरों में नई-नई बीमारियां रोजाना पैदा हो रही हैं। एक आंकड़े के मुताबिक यदि शहर की सड़कें छोटे मार्गए ग लयांए खेल के मैदानए पार्कए और अन्य सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बना दिया जाए तो होने वाली बीमारियां एक चौथाई से भी कम रह जाएंगी।

नगर निगम की सहयोगी संस्था सफाई मत्र समूह के सदस्यों ने इस मौके पर स्वच्छ सर्वेक्षण की फीटबैक के पेम्पलेट और स्टीगर का वतरण कर नागरिकों से सफाई कार्य में सहयोग की अपील भी की गई। यहां बच्चों और महिलाओं की मौजूदगी भी रांगोलीए निबंध और मेंहदी आदि प्रतियो गताएं भी आयोजित कर इनके बेहतर प्रदर्शन पर मौके पर ही इन्हे प्रमाणपत्र व बालपेन आदि देकर सम्मानित भी कया गया।

मुख्यमंत्री मा० श्री शवरज संह जी चौहान

आज करेंगे दीनदयाल रसोई योजना का लोकार्पण

लोकार्पण कार्यक्रम का स वक सेन्टर में होगा सीधा प्रसारण

रतलाम 25 फरवरी । दीनदयाल अन्त्योदय रसोईयोजना के तहत मुख्यमंत्री माननीय श्री शवरज संह जी चौहान की पहल पर हर गरीब को सस्ता एवं पौष्टिक भरपेट भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु आज 26 फरवरी शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से स वक सेन्टरए डॉ० अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्ड व त्रिपो लया गेट पर दीनदयाल रसोई योजना प्रारंभ की जा रही है।

दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना शुभारंभ मुख्यमंत्री माननीय श्री शवरज संह जी चौहान द्वारा दोपहर 03:00 बजे भोपाल के मन्टो हॉल से कया जायेगा जिसका सीधा प्रसारण स वक सेन्टर पर कया जायेगा जिसमें जनप्रतिनि धए गणमान्य नागरिकए नागरिक व हितग्राही सादर आमंत्रित है।

नगर निगम द्वारा जनप्रतिनि धए गणमान्य नागरिकए नागरिक व हितग्राहियों से अपील की जाती है स वक सेन्टर में कये जाने वाले सीधे प्रसारण में मास्क लगाकर व शारीरिक दूरी बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शवरज संह जी चौहान द्वारा कये जाने वाले शुभारंभ कार्यक्रम को देखे व सुने। कार्यक्रम पश्चात सभी आमंत्रितजन भोजन हेतु भी सादर आमंत्रित है।

दीनदयाल रसोई योजना के तहत हर गरीब को मात्र 10६ रुपये में प्रति दिवस के मीनू अनुसार भोजन प्रातः 10 से दोपहर 3 बजे तक रसोई केन्द्रों पर भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

10 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन कर 8 कलो पॉलीथीन जब्त 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 23 व्यक्तियों पर जुर्माना रतलाम 25 फरवरी । षासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जीए फल-फुरट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रुपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000६ रुपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी वक्रेता जो क गंदगी कर रहे थे व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत मुस्तफाए आदित्य जैनए पवन पर 250.250ए मनीशए षर्माजीए गोपालए संजय पर 100.100ए रमेषए ष्यामए आरिफ सैलाना बस स्टैण्ड पर 50.50 रुपये का जुर्माना कर भ वश्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईष दी गई व लगभग 8 कलो पॉलीथीन जब्त की गई।

नगर के नागरिकए दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है क वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि

के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने अतिक्रमण करने पर संबंधितों के वरुद्ध जुर्माना कये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

धानमण्डी में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

नागरिकों ने 39ए21ए144६ संपत्तिकर व 8ए23ए090६ जलकर जमा कराया

रतलाम 25 फरवरी । नागरिकों की सुवधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण जलकर ए दुकान ए गुमटी कराया ए लायसेंस शुल्क एवं वकास षाखा से संबंधित भवन की कष्ट तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000६ व जलकर 6ए000६ ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा

ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000६ व जलकर 55ए775६ ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विर्ि में संपत्तिकर 2ए38ए000६ व जलकर 49ए010६ ए वनोबा नगर ष वर में

संपत्तिकर 1ए29ए000६ व जलकर 43ए670६ ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में

संपत्तिकर 1ए22000६ व जलकर 29ए280६ ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000६

व जलकर 19ए850६ ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000६ व जलकर

48ए220६ ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000६ व जलकर 14ए000६

ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000६ व जलकर 86ए540६ ए प्रयदर्षनी

नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000६ व जलकर 3ए76ए905६ ए डोंगरे नगर ष वर

में संपत्तिकर 1ए82ए500६ व जलकर 76ए470६ ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर

68ए000६ व जलकर 47ए595६ ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000६ व

जलकर 22ए680६ ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644६ व जलकर

55ए320६ ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000६ व जलकर 59ए500६ ए

वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144६ व जलकर 6ए71ए025६ ए

कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर 71ए000६ व जलकर 19ए000६ ए दीनदयाल नगर

ष वर में संपत्तिकर 2ए47ए000६ व जलकर 64ए780६ ए बोहरा बाखल ष वर में

संपत्तिकर 4ए92ए000६ व जलकर 66ए715६ ए रामगढ़ ष वर में संपत्तिकर

1ए60ए000६ व जलकर 34ए340६ए लक्कड़पीठा प्याऊ के पास ष वर में संपत्तिकर 2ए30ए000६ व जलकर 44ए230६ की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांे ने अब तक आयोजित ष वरों मेें 39ए21ए144६ संपत्तिकर व 8ए29ए090६ जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लये 2 मार्च को जूनी कोर्ट करण टॉ कजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 13 के लये 6 मार्च को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लये 10 मार्च को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लये 12 व 15 मार्च को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंद्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

691 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 25 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ

झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्री में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 25 फरवरी तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 691 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 25 फरवरी को डोंगरे नगर ए बिरियाखेड़ी ए 80 फीट रोड ए अलकापुरी व वनोबा नगर से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों ए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम वपरित है ए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 संह ए झोन प्रभारी श्री करण चौहान ए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे है लीकेज दुरस्त

126 दिनों में 148 वॉल्व व 866 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 25 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 25 फरवरी तक 148 वॉल्व व 866 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अभियान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 25 फरवरी गुरुवार को कस्तुरबा नगर सर्वोदय कराना के सामने टैंकर रोड साईनाथ नगर वीआईपी नगर सलावटों का वास में पाईप लाईन लीकेज दुरस्त कये गये। इसके अलावा जवाहर नगर लोहे वाली पुलया के पास वॉल्व दुरस्त किया गया। उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य उपयंत्री श्री सुहास पंडत श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 25 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़क गली सार्वजनिक स्थल नाले-नालयों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी कचरे के ढेर नाले-नालयों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी

करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 25 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों एवं दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें रतलाम 25 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें एवं उसके

पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी और उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 25 फरवरी | नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त/25/02/2021/धन.पा.निगमए रतलाम.